कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 2469 /मी0क्षे0/33, मीरजापुर, दिनांक दिसम्बर, 04-01 2025

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्ड् लि0 की बीना परियोजना को बीना–ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे0 आरक्षित वनभूमि का 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षो के पातन के समबन्ध में।

संदर्भः– 1–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ.सी./991, दिनांक 29.03.2023

2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–3150/11–सी–FP/UP/Min/24551/2017, दिनांक–31.03.2023

3–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–621/11–सी–FP/UP/Min/24551/2017, दिनांक–20.08.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 29.03.2023 द्वारा दो बिन्दुओ पर सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त के अनुपालन में वांछित सूचना/अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने कार्यालय पत्रांक–2214/रेनुकूट/15–108, दिनांक 24.12.2025 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रेषित सूचना एत्दसह संलग्नकर सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

4.1.2026

(सुशान्त शर्मा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या–2467 /अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4.1.2026

(सुशान्त शर्मा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट(सोनभद्र)

पत्रांक– २२१५ /रेनुकूट/ 15–108 दिनांक,रेनुकूट,दिसम्बर, २५, 2025

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की बीना परियोजना को बीना–ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे0 आरक्षित वन भूमि का 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं वाधक 14000 वृक्षो के पातन की अनुमति के संबंध में ।
(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– **FP/UP/MIN/24551/2017**) ।

संदर्भः– 1–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/991 दिनांक– 29.03.2023
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 3150/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक–31.03.2023
3– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 621/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक–20.08.2025
4–क्षेत्रीय महाप्रबन्धक एन0सी0एल0 बीना परियोजना, बीना सोनभद्र का पत्रांक–बीना/पर्या./उ0प्र0/वन/2025/77 दिनांक–17.12.2025

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 29.03.2023 व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 31.03.2023 द्वारा दो बिन्दुओ से संबंधित निम्न सूचना/अभिलेखो की मॉग की गयी :–

क्र0 सं0	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/991 दिनांक– 29.03.2023 मे अंकित बिन्दु ।
1	No non –forest land is available in the State for raising Compensatory Afforestation .
2	No other category of forest land such as revenue lands/zudupi jungle/chhote/bade jharka jungle which is not under the management and/or administrative control of the State forest Department is available for raising Compensatory Afforestation

उक्त दोनो बिन्दुओ से संबंधित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु प्रभाग के विभिन्न पत्रों द्वारा एन0सी0एल0 बीना परियोजना से अनुरोध किये जाने पर क्षेत्रीय महाप्रबन्धक एन0सी0एल0 बीना परियोजना ने अपने कार्यालय के संदर्भित पत्र संख्या– बीना/पर्या./उ0प्र0/वन/2025/77 दिनांक–17.12.2025 द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक– 17.03.2025 एवं 17.12.2024 की छायाप्रति संलग्न करते हुये ऑनलाइन प्रस्ताव में अपलोड किये गये 61.00 हे0 अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण किये जाने वावत् अनुरोध किया गया है।

भारत सरकार के पत्र दिनांक–17.03.2025 में उल्लिखित विवरण निम्न प्रकार हैः–

i. As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, there is no requirement of certificate from the State Government certifying the non-availability of the non-forest land for the projects of Central PSU/entities and captive coal blocks of the State PSUs

ii. The provisions of the amendment Rules 2024, have further been clarified by the Central Government in its Guidelines issued on 17.12.2024 (copy enclosed). The same may be adhered to by the processing authorities in the State.

भारत सरकार के पत्र दिनांक–17.12.2024 में उल्लिखित विवरण निम्न प्रकार हैः–

As per the provisions of the van (sanrakshan evam samvardhan) amendment rules 2024 project of central government entities/ CPSU and captive coal blocks of the state PSUs are eligible for raising CA over degraded forest land which will be double in extent of the forest land being diverted. accordingly, the state government/UT shall not insist for providing non-forest land as CA unless in cases wherein the central government agencies/CPSUs or state government PSUs with

captive coal blocks are forthcoming to provide non-forest land available with them as CA or the state government/ UT administration is willing to provides non-forest land on such terms and condition which is agreed by the central government agencies/ CPSUs or state government PSUs in case of captive coal blocks.

भारत सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक– 17.12.2024 एवं 17.03.2025 के क्रम मे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से भारत सरकार पर्यावरण जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र) केन्द्रीय भवन अलीगंज लखनऊ को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुये उचित दिशा निर्देश देने हेतु अनुरोध किया गया है, किन्तु अभी तक कोई निर्देश प्राप्त होने की सूचना प्रभाग के संज्ञान में नहीं है।

यहाँ यह उल्लेख करना है कि प्रश्नगत प्रस्ताव प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर वर्ष 2017 में ऑनलाईन अपलोड किया गया है, तब से पत्राचार में है। उक्त प्रस्ताव भारत सरकार की परियोजना होने के कारण, भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम आदेश दिनांक– 17.12.2024 एवं 17.03.2025 में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में प्रभावित वनभूमि 30.50 हे0 के दोगुने अवनत वनभूमि 61.00 हे0 पर क्षतिपूरक वनीकरण की योजना सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख जो ऑनलाइन प्रस्ताव में अपलोड किये गये है उसके आधार पर सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रयोक्ता अभिकरण के पत्र दिनांक–17.12.2025 एवं भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक–17.12.2024 एवं 17.03.2025 की छायाप्रति संलग्न करते हुये संस्तुति सहित रिपोर्ट प्रेषित है।

भवदीय

(कमल कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या– अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2–महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0 बीना, परियोजना, बीना–सोनभद्र को उनके पत्र संख्या– बीना/पर्या./उ0प्र0/वन/2025/77 दिनांक–17.12.2025 के क्रम में ।

(कमल कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट